राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

<u>प्रार्थना पत्र सं.</u> 85/2022

1. श्रीमती कमला पत्नी स्व. बीरबल
2. श्रीमती माया पुत्री स्व. बीरबल पत्नी नरेश कुमार
3. श्रीमती लीला पुत्री स्व. बीरबल पत्नी सुबराम
4. नरसी लाल पुत्र स्व. बीरबल
5. मुकेश पुत्र स्व. बीरबल
6. धर्मेन्द्र पुत्र स्व. बीरबल
7. रामोवतार पुत्र स्व. बीरबल
8. भागीरथ पुत्र झाबर
9. इन्दाज पुत्र झाबर
10. गुमान सिंह पुत्र झाबर
11. श्रीमती कस्तुरी बेवाह झाबर
12. मूलचन्द पुत्र स्व. मालाराम
13. ज्ञानचन्द पुत्र स्व. मालाराम
    समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढाणी पीरू की तन् बसन्त विहार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रार्थीगण

<u>ब–ना–म</u>

1. जगदीश प्रसाद पुत्र मातुराम उर्फ मामला
2. जड़ावली देवी पत्नी मातुराम उर्फ मामला
3. नेतराम पुत्र मातुराम उर्फ मामला
4. सुमेर पुत्र मातुराम उर्फ मामला
5. सीताराम पुत्र मातुराम उर्फ मामला
6. मीरा देवी पत्नी नत्थूराम
7. रामनिवास पुत्र नत्थूराम
8. शेर सिंह पुत्र नत्थूराम
   समस्त जाति मेघवाल निवासीगण खरकड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
9. डॉ. छाजूराम पुत्र श्री फूलचन्द मेहरड़ा निवासी वार्ड नं. 03 बागौर तहसील खेतड़ी हाल आबाद एस.डी.एम. कोर्ट के पीछे, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
10. उप पंजीयक, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
11. श्रीमती तीजा पुत्री झाबर पत्नी रामकुमार [illegible]
12. श्रीमती मिश्री पुत्री झाबर [illegible] निवासीगण जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
13. श्रीमती सावित्री पुत्री झाबर पत्नी कन्हैयालाल उर्फ खन्नाराम जाति गु[illegible]
14. श्रीमती सुमित्रा पुत्री झाबर पत्नी श्रीराम
    जाति गुर्जर निवीगण तातीजा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:42:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

15. लक्ष्मण पुत्र स्व. हरनारायण
16. पोकर पुत्र स्व. हरनारायण
17. जगदीश पुत्र स्व. हरनारायण
18. रोहताश पुत्र स्व. हरनारायण
19. बनवी पुत्र झाबर

समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढाणी पीरू की तन् बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री कृष्ण कुमार वर्मा – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री शीशराम मेहरड़ा – अप्रार्थीगण सं. 1 से 9 की ओर से

दिनांक 06–10–2022

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 39 के हाल खसरा नंबर 561 रकबा 0.57 है., ख.नं. 562 रकबा 0.76 है., ख.नं. 563 रकबा 0.13 है., ख.नं. 564 रकबा 0.13 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.59 है. भूमि में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 8 दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदार है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 11 लगायत 19 एक ही कुटुम्ब के सदस्य है। ग्राम खरकड़ा स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 941 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 8 के पूर्वज (दादा) सुरजिया उर्फ सुरजा पुत्र गोमा जाति चमार निवासी खरकड़ा की संवत् 1999 में टिनेन्सी में थी उक्त सुरजिया ठिकाना चोसीरा (मण्डावा) के तहत टिनेन्ट था व लगान 13 रूपया 4 आना तीन पैसा ठिकानेदार ठाकुर जयसिंह को अदा करते थे। उक्त सुरजिया का देहान्त संवत् 2013 में हो गया था उसकी पत्नी का देहान्त भी उसके जीवनकाल में ही हो गया था उक्त सुरजा की मृत्यु के बाद उक्त भूमि के टीनेन्ट उसके पुत्र गोविन्दा, भगवानाराम, मामला हुए उक्त गोविन्दा का देहान्त आज से करीब 60 वर्ष पूर्व हो गया तथा उक्त गोविन्दा अविवाहित ही फौत हो गया था। इसलिए उसके उत्तराधिकारी उसके सगे भाई भगवानाराम, मामला हु। दावे में दर्ज प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 3 उक्त भगवानाराम के वारिशान हैं व प्रतिवादी सं. 4 से 9 उक्त मामला उर्फ मातुराम के वारिशान हैं। वादीगण सं. 1 से 8 उक्त गोविन्द के पुत्र झाबर के पुत्र व पुत्रियां है व वादी सं. 9 झाबर की बेवाह है व झाबर का पुत्र प्रतिवादी सं. 11 विदेश में था जिसे परफोर्मा के रूप में प्रतिवादी सं. 11 बनाया गया था। वादी सं. 10 उक्त गोविन्दा का पुत्र है व वादी सं. 11 गोविन्दा के सगे भाई सांवता का पुत्र हरनारायण है जिसमें से वादी सं. 11 हरनारायण वादी सं. 1 बीरबल, वादी सं. 10 मालाराम फौत हो चुके हैं उनके वारिशान को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा वादवर्णित भूमि में काफी लम्बे समय से प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है जो उनके पूर्वजों के समय से है लेकिन अप्रार्थी सं. 11 लगा. 19 गोविन्दा पुत्र रामू जाति [illegible] वारिशान होने से उन्हें उक्त प्रार्थना पत्र में परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है प्रार्थी[illegible] ने [illegible]र्थीगण सं. 11 लगाय 19 से कोई अनुतोष नहीं चाहा है। प्रार्थीगण [illegible] सुरजा से उक्त भूमि काश्त नहीं हुई व उससे लगान भी [illegible] उसने उक्त भूमि गत् खसरा नंबर 941 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी [illegible] 19 के पूर्वज गोविन्दा पुत्र रामू जाति गुर्जर निवासी ढाणी पाजी, नया गांव बसन्त बिहार को निर्धारित लगान 13 रूपया 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:42:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

आना तीन पैसा में काश्त करने हेतु दे दी व गोविन्दा संवत् 2002 से लगातार अपने जीवन पर्यन्त संवत् 2013 तक काश्त करता रहा व काश्त में अपने सगे भाई सांवता को भी शामिल कर लिया गोविन्दा की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र झाबर व माला उक्त भूमि को काश्त करते रहे। सुरजा की मृत्यु के पश्चात् गोविन्दा, भगवानाराम, मामला उर्फ मातुराम को लगान अदा करते रहे। इस प्रकार प्रार्थीगण के पूर्वज गोविन्दा, सांवता की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के साथ सबटीनेन्सी का कान्ट्रेक्ट हो गया व उक्त भूमि का समस्त लगान संवत् 2002 से सन् 1985 तक प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज देते रहे। संवत् 2012 के पूर्व उक्त भूमि की कोई जमाबन्दी नहीं बनी थी व संवत् 2009 से 2019 तक की खसरा गिरदावरी में उक्त गोविन्दा पुत्र रामू का नाम बतौर उप काश्तकार दर्ज है व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व ही उक्त गोविन्दा पुत्र रामू वाद वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार बन गये थे। प्रार्थीगण का उक्त भूमि में पशु बांधने, चारा रखने तथा आवास हेतु पुख्ता मकानात निर्मित है तथा टीनशैड भी बने हुए हैं तथा प्रार्थीगण ने विवादित भूमि के तारबन्दी कर मौके पर फसल बाड़ी काश्त कर रखी है जो अपने पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। भूमि गत खसरा नंबर 941 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा में से 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड में दिनांक 12.01.1968 को अवाप्त कर ली थी जिसके मुआवजा का 1959 रूपया 37 पैसा भी प्रार्थी सं. 1 लगा. 13 एवं अप्रार्थी सं. 11 लगा. 19 के पूर्वज झाबर, माला पुत्रान गोविन्दा को मिला था व भूमि अवाप्ति के फलस्वरूप प्रार्थी सं. 1 के पति तथा प्रार्थी सं. 2 लगा. 7 के पिता बीरबल पुत्र झाबर को हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ने सर्विस में भी लिया था इस प्रकार प्रार्थीगण ही उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। भूमि गत् खसरा नंबर 941 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा में से 3 बीघा 15 बिस्वा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा अवाप्त करने के बाद वर्तमान बंदोबस्त में ग्राम खरकड़ा की उक्त भूमि गत् खसरा नंबर 941 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा में 1.59 है. के खसरा नंबर 912 रकबा 0.13 है., ख.नं. 915 रकबा 0.13 है., ख.नं. 917 रकबा 0.76 है., ख.नं. 925 रकबा 0.57 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.59 है. बने थे व ग्राम खरकड़ा से ग्राम बसन्त बिहार अलग रेवेन्यू विलेज बना तब उक्त भूमि के हाल खसरा नंबर 564 के 912, ख.नं. 563 से 915, ख.नं. 562 से 917, ख.नं. 561 से 925 बने जिनका कुल किता 4 कुल रकबा 1.59 है. बनकर आये हैं उक्त भूमि का रिकार्ड वर्तमान में अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 8 के नाम से हैं। न्यायालय तहसीलदार, खेतड़ी ने अपने निर्णय दिनांक 23.12.2010 बउनवानी सरकार बनाम बीरबल आदि अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.नं. 8/2010 में पटवार हल्का रिपोर्ट के अनुसार दर्ज किया है कि खसरा नंबर 561 रकबा 0.57 है. पर मूलचन्द, ज्ञानचन्द पुत्रान माला, श्योपाली पत्नी माला जाति गुर्जर द्वारा काश्त कर कब्जा कर रखा है खसरा नंबर 563 रकबा 0.13 है. में सड़क बनी हुई है, ख.नं. 564 रकबा 0.13 है. पर बीरबल, भागीरथ, गुमान सिंह, इन्द्राज पिता झाबर मल का कब्जा है तथा मौके पर पड़त है एवं एक पक्की दुकान बना रखी है तथा खसरा नंबर 562 रकबा 0.76 है. पर बीरबल, भागीरथ, गुमान सिंह, इन्द्राज पिता झाबर राम जाति गुर्जर निवासीगण बसन्त बिहार ने दो पुख्ता मकान व सरसों की काश्त कर कब्जा कर रखा है। उक्त निर्णय द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि का कब्जा प्रार्थना पत्र में दर्ज अप्रार्थी सं. 1 लगा. 8 को दिल[illegible] का आदेश दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर [illegible] अपील दायर कर रखी है जो लम्बित है। उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 लगा. [illegible] का मौके पर भौतिक कब्जा व काश्त ना होते हुए भी झूठक बोगस तथा झूठे [illegible] के आधार पर बाला–बाला दिनांक 30.06.2022 को अप्रार्थी सं. 10 के यहां से अप्रार्थी [illegible] 9 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया जो प्रार्थीगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी होकर अवैध व शून्य है तथा विक्रित भूमि खसरा नंबर 563 रकबा 0.13 है. में मौके पर पक्की सड़क है, ख.नं. 564 में एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:42.15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

पक्की दुकान तथा खसरा नंबर 562 में दो पुख्ता मकानात निर्मित हैं तथा मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा है तथा वे ही काश्त कर काश्तकार हैं। विक्रीत भूमि में विक्रेतागण (अप्रार्थी सं. 1 लगा. 8) तथा क्रेता (अप्रार्थी सं. 9) का कोई लेना–देना नहीं है ना ही उक्त भूमि से कोई संबंध सरोकार है। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 9 प्रार्थीगण को उनके काफी लम्बे समय से चले आ रहे निर्विवादित व शांतिपूर्वक कब्जे काश्त से जबरन लठ के बल पर वाद वर्णित भूमि पर अवैध कब्जा करने, प्रार्थीगण को जवरन वेदखल करने, प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे काश्त में बाधा व दखलंदाजी देने तथा विवादित भूमि पर खाम तामील कार्य करने व खुर्द–बुर्द करने की धमकियां दे रहे हैं, यदि वे अपने नापाक मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को भारी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा तथा बेवजह कई कानूनी पेचिदगियां पैदा होगी और अनावश्यक मुकदमें बाजी बढ़ेगी और प्रार्थीगण को भारी हकतलफी होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना असंभव है। प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

(क) अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 9 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावेगा कि वे दौराने वाद वर्णित विवादित भूमि वाके ग्राम बसन्त विहार तहसील खेतड़ी जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 39 के हाल खसरा नंबर 561 रकबा 0.57 है., ख.नं. 562 रकबा 0.76 है., ख.नं. 563 रकबा 0.13 है., ख.नं. 564 रकबा 0.13 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.59 है. भूमि के किसी भाग या अंश पर कब्जा ना करें। प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा/दखलंदाजी ना देवें, उनके क्वजे काश्त में किसी प्रकार की बाधा/दखलंदाजी ना देवें, उनके कब्जे काश्त में बाधा कारित ना करें, जबरन लठ के बल पर प्रवेश ना करें, खुर्द–बुर्द ना करें, तामीर कार्य ना करें तथा किसी अन्य व्यक्ति को दान, रहन, बंधक, विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण आदि ना करें। ऐसा ना तो आप स्वयं करें ना ही अपने परिजनों, मित्रों, अनुचरों, रिश्तेदारों आदि से करायें।

(ख) अप्रार्थी सं. 10 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावेगा कि यदि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 9 दौराने दावा विवादित भूमि वाके ग्राम बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 39 के हाल खसरा नंबर 561 रकबा 0.57 है., ख.नं. 562 रकबा 0.76 है., ख.नं. 563 रकबा 0.13 है., ख.नं. 564 रकबा 0.13 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.59 है. भूमि बाबद किसी प्रकार का विक्रय पत्र, दान पत्र, रहननामा या अन्य हस्तान्तरण का विलेख दस्तावेज पंजीयन (तस्दीक) करवाने हेतु पेश करें तो उसे पंजीयन (रजिस्टर्ड) ना करें। ऐसा ना तो स्वयं करें तथा ना ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करवायें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 9 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को अस्वीकार किया है। अप्रार्थीगण [illegible] 9 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि ग्राम खरकड़ा में स्थित [illegible] नंबर 941 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा अप्रार्थीगण के पूर्वजों की [illegible] है और उनके देहान्त के बाद उनके पुत्रों अप्रार्थीगण की खातेदारी व काश्त [illegible] स्वीकार है। प्रार्थीगण ने जबरन अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के कुछ हिस्से पर ल[illegible]के बल पर अतिक्रमण कर रखा है जिनके विरूद्ध माह दिसम्बर 2010 में धारा 183 बी राज0 काश्त0 अधिनियम के तहत तहसीलदार, खेतड़ी ने प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया था। इस निर्णय की अपील प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:42:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

सं. 10 ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं को मु.नं. 5/11 की थी जो अपील दिनांक 27.03.2012 को खारिज हो चुकी है। प्रार्थीगण ने पूर्व में दावे के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा मु. नं. 29/2009 पेश की थी जो दिनांक 30.05.2018 को न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा खारिज कर दी गई। इसलिए उन्हें आधार विवादों को लेकर दुबारा प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सकते। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थी सं. 11 लगा. 19 से प्रार्थीगण को कोई अनुतोष नहीं चाहिए, उक्त अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादग्रस्त भूमि के गत ख.नं. 941 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा सुरजिया वल्द गोपा कौम चमार सा.देह. की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है उसके पश्चात् उक्त गत् ख.नं. 941 से खसरा नंबर 912, 915, 917, 925 निर्मित हुए जो गोविन्दा पुत्र भगवाना मामला पुत्र सुरजा जाति मेघवंशी सा.देह की खातेदारी में रही है तत्पश्चात् उक्त गत् खसरा नंबर 912, 915, 917, 925 से हाल खसरा नंबर 561, 562, 563, 564 किता 4 कुल रकबा 1.59 है. वाके ग्राम बसंत बिहार निर्मित हुए हैं। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076–79 खाता सं. 39 की भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 8 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है एवं वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति से है। इस प्रकार प्रार्थीगण का यह ना तो प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है और ना ही सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है। जिससे प्रार्थीगण को किसी प्रकार से अपूर्तनीय क्षति होना प्रतीत नहीं हो रहा है। वाद में वर्णित कब्जे एवं खातेदारी सम्बन्धी तथ्यों का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य एवं रिकॉर्ड के आधार पर ही करना समीचीन होगा।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:42:15 IST
Reason: SelfAttested